भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1898
गुरुवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>बिहार में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं</u>

1898. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा स्थापित क्षमता का स्रोत-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का बिहार में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि की मात्रा कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान बिहार में विभिन्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार के पास अब तक लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

(क) दिनांक 30 नवंबर 2023 की स्थिति के अनुसार, बिहार में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 420.2 मेगावाट है। इसमें 70.7 मेगावाट लघु पन विद्युत, 126.0 मेगावाट जैव विद्युत और 223.5 मेगावाट सौर विद्युत है।

(ख) भारत सरकार बिहार सहित सभी राज्यों में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है. इसमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों की माफी और इसके बाद ग्रेडेड आईएसटीएस शुल्क,
- वर्ष 2029-30 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा करना,
- सौर पार्कों का निर्माण और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना योजना, प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजनी (पीएम-कुसुम), ग्रिड कनेक्टिड सौर रूफटॉप कार्यक्रम, सीपीएसयू योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना) सहित योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन,
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करना,

- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना,
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके,
- हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमावली, 2022 के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी करना,
- विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले नियमावली 2022 की अधिसूचना,
- केन्द्रीय पूल के लिए समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ के प्रावधान सहित विद्युत संशोधन नियमावली 2022 की अधिसूचना,
- भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यातों का केन्द्र (हब) बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू करना।

(ग) पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत निधियों की मात्रा इस प्रकार है:

वर्ष	आवंटित निधियाँ (संशोधित अनुमान)	व्यय
2020-21	3591.00	3096.73
2021-22	7681.80*	6792.83
2022-23	7033.00	5745.86
2023-24 (नवम्बर, 2023 तक)	7848.00	4034.26

*भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) में इक्विटी के निवेश हेतु 2500 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई गई।

(घ) और (ङ): पीएम कुसुम योजना के घटक ग के तहत, वर्ष 2022-23 में बिहार के लिए 1.6 लाख पंपों के फीडर स्तरीय सौरीकरण हेतु एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2021-2022 के दौरान रूफ-टॉप सौर कार्यक्रम के तहत राज्य को 20 मेगावाट की क्षमता आवंटित की गई है।

इसके साथ ही, वर्ष 2021-22 में बिहार में बायोमास से विद्युत की दो परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जबकि बायोमास योजना के तहत 14.2 मेगावाट क्षमता की गैर-खोई सह-उत्पादन परियोजना के लिए एक अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

*****